न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (SDO), बाड़मेर

नाम पीठासीन अधिकारी :– श्री रोहित चौहान आर.ए.एस.

राजस्व आवेदन संख्या :– 117/2021

प्रार्थीनी	बनाम	अप्रार्थीगण
1 अनीता पुत्री गेमाराराम जाति सुथार निवासी भीयाड़ तहसील शिव जिला बाडमेर।		1 देवपालसिंह पुत्र जुझारसिंह जाति राजपूत निवासी बेरियों का वास बाडमेर तहसील व जिला बाडमेर 2 तहसीलदार बाडमेर 3 गजेन्द्र कुमार पुत्र गेमराराम जाति सुथार निवासी भीयाड़ तहसील शिव जिला बाडमेर।

राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 131, 136 RLR Act.

उपस्थिति :– 1 श्री छैलसिंह वकील प्रार्थीनी।
2 श्री छगनलाल मन्सूरीया वकील अप्रार्थी संख्या 01।
3 श्री धनपतसिंह वकील अप्रार्थी संख्या 03।

आदेश

दिनांक 17/09/21

संक्षिप्त में प्रार्थीनी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि मौजा गेहूं पटवार मण्डल जालीपा तहसील व जिला बाडमेर के खसरा संख्या 783/363 रकबा 09.04.04 बीघा भूमि प्रार्थीनी की खातेदारी की आई हुई है, जिस पर प्रार्थीनी का कब्जा काश्त है। प्रार्थीनी के सेढासेढ अप्रार्थी संख्या 01 व 03 की खातेदारी का खेत खसरा संख्या 781/363 रकबा 09.04.04 बीघा, खसरा संख्या 1096 एवं खसरा संख्या 789/363 का आया हुआ है। उक्त खसरों में राजस्व रेकर्ड में जो तरमीम की गई जो परिशिष्ठ ''ब'' के अनुसार है, परन्तु मौके पर प्रार्थीनी एवं अप्रार्थी संख्या 01 परिशिष्ठ ''अ'' अनुसार काबिज है। वर्तमान में लठ्ठा ट्रेस के अनुसार कब्जा काश्त में अन्तर है। प्रार्थीनी की भूमि खसरा संख्या 783/363 रकबा 09.04.04 बीघा की गलत तरमीम को लठ्ठा ट्रेस में शुद्ध करने का निवेदन किया तथा प्रार्थीनी द्वारा प्रस्तुत संलग्न नक्शा परिशिष्ठ ''ब'' के अनुसार लठ्ठा ट्रेस में तरमीम दुरूस्त किये जाने का निवेदन किया।

आवेदन दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। वकील अप्रार्थी संख्या 01 व 03 के वकील उपस्थित। वकील अप्रार्थी संख्या 01 ने जवाब प्रस्तुत कर जवाब में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया प्रार्थीनी द्वारा प्रस्तुत आवेदन अनुसार तथा प्रार्थीनी द्वारा प्रस्तुत परिशिष्ठ ''अ'' अनुसार लठ्ठा ट्रेस में तरमीम की जाती है तो उसे कोई आपति नही है।

तहसीलदार बाडमेर से मौके की रिपोर्ट अभिलेख के परिप्रेक्ष्य में तलब की गई। तहसीलदार बाडमेर के पत्रांक भूअ./2021/4607 दिनांक 13.09.2021 द्वारा प्रतिवेदन इस आशय का उपलब्ध करवाया कि मौजा गेहूं पटवार मण्डल जालीपा तहसील व जिला बाडमेर के खसरा संख्या 783/363 रकबा 09.04.04 बीघा व खसरा संख्या 781/363 रकबा 09.04.04 बीघा, खसरा संख्या 1096 एवं खसरा संख्या 789/363 का राजस्व रेकर्ड के लठ्ठा ट्रेस में गलत तरमीम है, जो वर्तमान में परिशिष्ठ ''ब'' अनुसार है। उक्त खसरा संख्या 783/363 व 789/363 कुल रकबा 12.04.04 की मौका रिपोर्ट के संलग्न परिशिष्ठ ''अ'' अनुसार बरंग हरा तथा खसरा संख्या 781/363 व

उपखण्ड अधिकारी
बाडमेर

1096/363 कुल रकबा 12.04.04 बीघा भूमि की बरंग पीला के अनुसार तरमीम शुद्ध की जाती है तो मौके पर क्षेत्रफल घटता या बढता नही है। वर्तमान में परिशिष्ठ 'अ' अनुसार मौके पर कब्जा काश्त है तथा परिशिष्ठ 'अ' अनुसार तरमीम दुरूस्त किया जाना उचित है।

उभय पक्षों को सुना गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। उभय पक्षों द्वारा तहसीलदार बाडमेर द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट पर सहमति प्रकट की है। अतः तहसीलदार बाडमेर द्वारा प्रस्तुत फर्द मौका प्रतिवेदन के मद्देनजर मौजा गेहूं पटवार क्षेत्र जालीपा तहसील बाडमेर के खसरा संख्या 783/363 व 789/363 कुल रकबा 12.04.04 बीघा तथा खसरा संख्या 781/363 व 1096/363 कुल रकबा 12.04.04 बीघा भूमि की वर्तमान तरमीम निरस्त कर तहसीलदार बाडमेर द्वारा मौका रिपोर्ट के संलग्न नक्शा परिशिष्ठ 'अ' अनुसार तरमीम दुरूस्त किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः तहसीलदार बाडमेर द्वारा प्रस्तुत मौका प्रतिवेदन के मद्देनजर प्रार्थी का आवेदन स्वीकार किया जाकर मौजा गेहूं पटवार क्षेत्र जालीपा तहसील बाडमेर के खसरा संख्या 783/363 व 789/363 कुल रकबा 12.04.04 बीघा तथा खसरा संख्या 781/363 व 1096/363 कुल रकबा 12.04.04 बीघा भूमि की लठ्ठा ट्रेस में की गई तरमीम तहसीलदार बाडमेर द्वारा फर्द मौका व संलग्न नक्शा परिशिष्ठ 'अ' में दर्शाये बरंग हरा अनुसार दुरूस्त की जाती है। फर्द मौका के संलग्न नक्शा परिशिष्ठ 'अ' आदेश का अभिन्न अंग होगा। तहसीलदार बाडमेर तद्नुसार राजस्व अभिलेख में शुद्ध करें।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बाड़मेर

(रोहित चौहान)
उपखण्ड अधिकारी
(SDO), बाड़मेर

आदेश आज दिनांक ......17.08.21...... को सरें इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
(SDO), बाड़मेर